SHRI VIRENDRA KATARIA: Sir, the Minister should fix the responsibility. My supplementary still remains unanswered.

MR. CHAIRMAN: It is a heavy heritage for the Minister to answer.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, the answer, the hon. Minister has given on technology is rather amateurish. I don't think, Members of this House are satisfied with it. There are many plants, all over the world, which are not only of 1972 and eighties', but much earlier—even in America—running, and there is no question of that technology not functioning. In most of these situations what has failed is the management. I feel that an indepth study should be made before a proper answer is given. There are plants, even in India, which are of 1954, 1960 and since then they are running. Technology is constantly being upgraded, it is not something that has to be written off or scrapped. Therefore, the plant which was imported—whether it was from one country or 15 countries, it does not matter—because many of these large plants do need different types of equipment from different countries. Even now, chemical plants are coming up and you have different technologies matching within the total project and they function. What has happened, apparently, in Haldia is a total collapse of management and I think the hon. Minister should have an indepth study and come back with a proper answer to this august House.

श्री शीश राम ओला: सभापति जी, इससे पहले जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से चार-पांच बार इस हाउस में निवेदन किया कि जो क्वेश्चन पूछे गये हैं उनका वही उत्तर है। ये 1972 से शुरू हुआ, इतना पुराना यह मसला है...(व्यवधान)... मुझे तो कहने दो या आप अपने मुंह से बोलेंगे। मुझे तो कहने दो फिर आप बोलिये।...(व्यवधान)... इसलिए इस कारखाने में उस वक्त जो कार्यरत थे वे चले गये, कई सभी इस संसार में ही नहीं रहे और कभी किसी न किसी की जिम्मेदारी आज तक निर्धारित नहीं की है। आज तक यह इसी प्रकार से 1972 से चलता रहा। चव्हाण साहब को थोड़ी सी नाराजगी तो हुई। यह 1972 में कारखाना शुरू हुआ और आज 1997 में आप जिम्मेदारी पूछ रहे हैं, इस बीच में क्या हुआ? उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी जो बीच में शासन में रहे। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आज तय करना उचित नहीं है क्योंकि यह 1972 से चला आ रहा है। मैं इसमें कहीं दोषी नहीं हूं, नजदीक नहीं हूं, मेरा कोई लेन-देन नहीं है।...(व्यवधान)...

SHRI MD. SALIM: Sir, we want a Half-an-Hour Discussion on it. The Minister should come prepared so that we would have an opportunity to put questions. We want a Half-an-Hour Discussion on it.....*(Interruptions)*...

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: They don't understand technology....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, unless you protect us by allowing a Half-an-Hour Discussion, this is wastage ....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The question is how to save this thing, Mr. Minister ....*(Interruptions)*...

Question Hour is over

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

मध्य प्रदेश की संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों की राशि का दुरूपयोग किया जाना

*382. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की उन निजी सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान दिये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को प्रति वर्ष कितनी राशि किन-किन प्रयोजनों के लिये दी गयी है; और

(ग) इनमें से उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके द्वारा अनुदानों की राशि के दुरूपयोग करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है। इन संस्थाओं के उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रियाकलाप होते हैं। विभिन्न मंत्रालय द्वारा दिये गये ऐसे अनुदानों का विस्तृत विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता। एक लाख रु० तथा उससे अधिक के अनुदानों का विवरण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है जो संसद के माननीय सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में संस्थानों द्वारा अनुदानों के दुरूपयोग के संबंध में शिक्षा विभाग में प्राप्त शिकायतों का विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश के संस्थानों द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का दुरूपयोग किया जाना

क्रम सं०	जिस संस्थान के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उसका नाम	की गई कार्रवाई
1.	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले की जांच करें तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट की लम्बित आवती के कारण स्वैच्छिक एजेंसी को सहायता अनुदान रोक दिया गया। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप झूठे थे तथा अनुदान पुनः शुरू कर दिये गये हैं।
2.	ग्रामीण चेतना एवं सेवा समिति, मुरैना	-वही-
3.	शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना	-वही-
4.	पंडित राम प्रसान बिस्मिल मानव सविकास समिति मुरैना	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि इस मामले की जांच करें तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट की लम्बित आवती के कारण स्वैच्छिक एजेंसी के अनुदान को रोक दिया गया। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट संतोषजनक थी। अतः संगठन को अनुदान जारी करने का निर्णय लिया गया।
5.	बाल एवं महिला कल्याण समिति, मुरैना	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह मामले की जांच करें। राज्य सरकार ने स्वैच्छिक एजेंसी की एन०एफ०ई० परियोजना की कार्य प्रणाली के विपरीत रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर परियोजना को बंद कर दिया गया। राज्य सरकार ने अब एक और रिपोर्ट भेजी है जो संतोषजनक है। पुनः अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
6.	श्री राधा कृष्ण शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, मोरेना	राज्य सरकार से मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से विपरित रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वैच्छिक एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजना को बन्द कर दिया गया।
7.	संत कबीर शिक्षा समिति, ग्वालियर	-वही-
8.	मोंटेसरी शिक्षा सोसायटी, उज्जैन	राज्य सरकार ने विपरित रिपोर्ट भेजी है और दिए गए अनुदान की वसूली की सिफारिश की है। मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। अब एक शिकायत भी प्राप्त हो गई है तथा राज्य सरकार को भेज दी गई है।

क्रम सं०	जिस संस्थान के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उसका नाम	की गई कार्रवाई
9.	श्री सरस्वती महिला कल्याण समिति, जबलपुर	जन शिक्षा निदेशालय, जबलपुर ने विपरित रिपोर्ट भेजी है जो राज्य सरकार को इसकी अंतिम रिपोर्ट के लिए भेजी जा रही है।
10.	मंदसौर जिला समग्र सेवा संघ	शिकायतों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी आनी है।
11.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम	-वही-
12.	श्री मालवा महिला विकास समिति	-वही-
13.	ज्ञान उदय शिक्षा सोसायटी	-वही-
14.	विद्यासागर कल्याण समिति	-वही-

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डिग्री कालेजों का अभाव

*385. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डिग्री कालेजों का नितान्त अभाव है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों की प्रतिशतता मात्र पांच प्रतिशत है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राज्य के पर्वतीय जिलों में तहसील एवं खण्ड (ब्लाक) केन्द्रों में डिग्री कालेज खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) से (ग) डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए कोई राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानदंड नहीं है। इनकी स्थापना, संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारों से तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के अध्यादेश में दी गई शर्तों के अनुसार होती है। कालेजों की स्थापना करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा रोजगार की संभावना सहित स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः विशेष रूप से यह बताना संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कालेजों की संख्या अपर्याप्त है तथा वहां नामांकन के अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा इसके गहन सर्वेक्षण तथा विस्तृत जांच के लिए तुरंत कदम उठाये ताकि पर्वतीय जिलों में कालेज शिक्षा के लिए आवश्यक कार्यों तथा क्रियाकलापों के संदर्भ में रोजगार की संभावना का भी पता लगाया जा सके। इसके बाद ही यह निश्चित करना संभव होगा कि इस क्षेत्र में कालेजों की कमी है।

Observance of 50th Year of Independence

*386. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the specific programmes organised or launched in observance of the celebrations of the 50th year of Independence that began on August 15, 1996; and programmes or schemes proposed to be so organised in connection therewith at national, regional or State levels; and